न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 130/2022
GCMS CASE NO-2022/130

1. भजन कौर पुत्री श्री हरनाम सिंह पत्नी जीतसिंह जाति बावरी साकिन 26 एलजीडब्ल्यू तहसील सूरतगढ
2. नसीब कौर पुत्र श्री हरनाम सिंह पत्नी श्री मलकीत सिंह जाति बावरी निवासीय अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

......अपीलांट

बनाम

1.कृपाल सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह अकवाम बावरी निवासीयान चक 26 एलजीडब्ल्यू
2.छिन्द्र सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह अकवाम बावरी निवासीयान चक 26 एलजीडब्ल्य
3. गोपाल सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह अकवाम बावरी निवासीयान चक 26 एलजीडब्ल्य
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) सूरतगढ़।

.......रेस्पो.

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू.राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बलदेव बिश्नोई अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3.पैरोकार राज. तहसीलदार(राजस्व) सूरतगढ़

– : : निर्णय : : – दिनांकः– 12.08.2024

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

श्रीमान जी, अपील के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है।

यह कि अपीलाधीन आदेश में मातहत न्यायालय द्वारा वसीयत का कतई अवलोकन नहीं किया गया क्योंकि रेस्पौडेन्ट के पिता हरनाम सिंह द्वारा अपने जीवन काल में कोई वसीयत निस्पादीत नहीं की थी। अपीलाधीन आदेश सार्वजनिक सूचना केवल मात्र सूरतगढ़ शहर में आने वाले लॉकल समाचार पत्र दैनिक भौर में जारी की थी जो कि गांवों में नहीं जाने के कारण उक्त वसीयत का किसी को भी इल्म नहीं हुआ इसलिए अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पेश किया गया निरस्त योग्य है। अपीलान्टस द्वारा एक वाद पत्र माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के यहां प्रकरण संख्या 96/2021 अर्न्तगत धारा 88, 188, 53, 209 आर टी ए पेश किया हुआ था जो दिनांक 18/06/2021 को दर्ज रजिस्टर हुआ व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 की तरफ से जरिये वकील उपस्थित हो चुके थे उक्त प्रकरण में भी जैरकार है आगामी तारीख पेशी 09/01/2023 निश्चित है इसलिए रेस्पोडेन्ट द्वारा जानबुझ कर तथ्य छुपा कर अपीलाधीन आदेश जारी करवाया है सक्षम न्यायालय में अगर कोई प्रकरण जैरकार है तो उसमें वसीयत सम्बन्धित कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती अपीलाधीन आदेश में पटवारी हल्का द्वारा कॉलम संख्या 3 में हरनाम सिंह के वारिस का कब्जाकाश्त अंकित किया है इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलान्ट का पिता सिधा साधा व्यक्ति था जो कहीं भी घर से बाहर नहीं गया था जो रेस्पोडेन्ट नं. 2 के पास शुरू से रहते थे व उनके घर में ही अन्तीम सांस ली थी इसलिए

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 12:59:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जो वसीयत नोटेरी खाजुवाला (बीकानेर) से करवाया वह गलत है अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने जारी किया हुआ है जो शुरू से ही शुन्य है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई अपीलाधिन आदेश विधी विरूद्ध ढंग से न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पारीत है हुआ है जो शुरू से ही शुन्य है चक 23 एस टी बी के प0न0 60/315 = 2.530 है0 रकबा प्रार्थीगण के पिता हरनामसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड था जो उनके फौत होने पर प्रार्थीगण द्वारा एक दावा घोषणात्मक डिक्री का पेश किया जो श्रीमान जी न्यायालय में जैरकार है अपीलाधीन आदेश प्रार्थीगण को बिना सुने जारी किया है जो शुरू से ही शुन्य है। प्रार्थीगण द्वारा ऑनलाईन जमाबन्दी दिनांक 25/11/2022 को लेने पर इल्म हुआ जो बिना कोई देरी किये हुए पेश कर दी है जो देरी हुई है वह बिना जानकारी के हुई है। इसलिए न्यायहित मे देरी माफ की जाकर अपील दर्ज की जाना उचित है।

वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए निर्णय पारित किया गया है प्रार्थी का यह कथन कि उसे आदेश की जानकारी नहीं थी सरासर गलत है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया है वह संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई प्रार्थीगण द्वारा उक्त अनवान की अपील श्रीमान जी के यहां प्रस्तुत की है जिसमे अपीलाधीन आदेश चक 23 एस टी बी के प0न0 60/315 की 10.00 बीघा भूमि हरनामसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी प्रार्थीगण हरनामसिंह के वारीस है व प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के यहां उक्त रकबा बाबत एक घोषणात्मक वाद पत्र जैरकार है इसलिए प्रार्थीगण हितबद्ध पक्षकार है इसलिए न्यायहीत में अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर गुण व दोषों के आधार पर सुना जाना उचित है।

वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि उक्त रकबा वसीयतकर्ता हरनाम सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति बावरी साकिन घमंडिया के नाम दर्ज रिकार्ड है था सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन से कोई आपत्ति/एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया वसीयत गवाह द्वारा भी उक्त वसीयत की सत्यता की जा चुकी है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से हितबद्ध पक्षकार नहीं है अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया अपीलांट जैरअपील प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है आपील के निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित होते है अपील का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं पर ना किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है

तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर बहस सुनी गई वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में मातहत न्यायालय द्वारा वसीयत का कतई अवलोकन नहीं किया गया क्योंकि रेस्पौडेन्ट के पिता हरनाम सिंह द्वारा अपने जीवन काल में कोई वसीयत निस्पादीत नहीं की थी। अपीलाधीन आदेश सार्वजनिक सूचना केवल मात्र सूरतगढ़ शहर में आने वाले लॉकल समाचार पत्र दैनिक भौर में जारी की थी जो कि गांवों में नहीं जाने के कारण उक्त वसीयत का किसी को भी इल्म नहीं हुआ इसलिए अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पेश किया गया निरस्त योग्य है। अपीलान्टस द्वारा एक वाद पत्र माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के यहां प्रकरण संख्या 96/2021 अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 209 आर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 12:59:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

टी ए पेश किया हुआ था जो दिनांक 18/06/2021 को दर्ज रजिस्टर हुआ व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 की तरफ से जरिये वकील उपस्थित हो चुके थे उक्त प्रकरण में भी जैरकार है आगामी तारीख पेशी 09/01/2023 निश्चित है इसलिए रेस्पोडेन्ट द्वारा जानबुझ कर तथ्य छुपा कर अपीलाधीन आदेश जारी करवाया है सक्षम न्यायालय में अगर कोई प्रकरण जैरकार है तो उसमें वसीयत सम्बन्धित कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती अपीलाधीन आदेश में पंटवारी हल्का द्वारा कॉलम संख्या 3 में हरनाम सिंह के वारिस का कब्जाकाश्त अंकित किया है इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलान्ट का पिता सिधा साधा व्यक्ति था जो कहीं भी घर से बाहर नहीं गया था जो रेस्पोडेन्ट नं. 2 के पास शुरू से रहते थे व उनके घर में ही अन्तीम सांस ली थी इसलिए जो वसीयत नोटेरी खाजुवाला (बीकानेर) से करवाया वह गलत है अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने जारी किया हुआ है जो शुरू से ही शुन्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपीलांट के कथनो का खंडन करते हुए कथन किया कि किया कि वसीयतकर्ता हरनाम सिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति बावरी साकिन घमंडिया का देहांत दिनांक 28.03.2001 को हो चुका है। वसीयतकर्ता द्वारा चक 23 एसटीबी के मु.न. 124 प.न. 60/315 का 2.530 है0 रकबा भूमि की वसीयत कृपाल सिंह–छिन्द्र सिंह–गोपाल सिंह–पि0 हरनाम सिंह जाति बावरी साकिन घमंडिया के पक्ष मे तस्दीक करवाई गयी थी। मातहत न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सुनते हुए व सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर दिनांक 5.7.2022 को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश पारित किए जो पूर्ण रूप से विधिक प्रकिया अपनाते हुए निर्णय पारित किया गया है। उक्त प्रकरण के सम्बंध में एक एफआईआर 13/2023 में माननीय न्यायालय एजीएम सूरतगढ में केस संख्या एफआर 109/2023 में राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच में प्रकरण राजीनामा होने से प्रकरण में दिनांक 9.9.2023 को एफआर स्वीकृत हो चुकी है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि अपील अपीलांट सार हीन होने से निरस्त की जावे।

पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ द्वारा न्याय हित एवं राज्यपक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया वसीयतकर्ता हरनाम सिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति बावरी साकिन घमंडिया द्वारा दिनांक 17.7.1994 को जारी वसीयत नोटेरी बीकानेर से पंजीकृत है। वसीयतकर्ता द्वारा चक 23 एसटीबी के मु.न. 124 प.न. 60/315 का 10 बीघा भूमि की वसीयत कृपाल सिंह–छिन्द्र सिंह–गोपाल सिंह–पि0 हरनाम सिंह जाति बावरी साकिन घमंडिया के पक्ष मे तस्दीक करवाई गयी थी। मातहत न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सुनते हुए व सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर दिनांक 5.7.2022 को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश पारित किए जो पूर्ण रूप से विधिक प्रकिया अपनाते हुए निर्णय पारित किया गया है। उक्त जैरअपील रकबे के सम्बंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ में एक घोषणात्मक वाद पत्र जैरकार है प्रकरण न्यायिक प्रकिया में जैरकार चल रहा है अतः इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील को खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 7/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 5.7.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे प्रकरण मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(कन्हैयालाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (जिला–श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 12:59:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner